# <u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली</u> <u>निदेशक कार्यालय</u>

फा.सं.40-30/2025-स्था.I

31.01.2025

#### कार्यालय आदेश

### विषय: नर्सिंग अधिकारियों को अध्ययन अवकाश प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी के पास कई नर्सिंग अधिकारियों द्वारा यह शिकायत की गई है कि अध्ययन अवकाश प्रदान किए जाने के उनके अन्रोध को अस्वीकृत कर दिया गया है।

तदनुसार, नर्सिंग अधिकारियों को अध्ययन अवकाश प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और इसके लिए दिशा-निर्देश बनाने हेत् निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है।

- संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)-अध्यक्ष
- अपर निदेशक (प्रशासन)-सदस्य
- चिकित्सा अधीक्षक (अस्पताल)-सदस्य
- उप-सचिव-सदस्य
- मुख्य नर्सिंग अधिकारी (अस्पताल)-सदस्य-सचिव

उक्त समिति से अनुरोध किया जाता है कि इस मामले की विस्तृत जांच करें एवं अपनी सिफारिशों को दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक प्रस्तुत कर दें।

प्रो. एम श्रीनिवास

निदेशक

वितरण: (इसे अपने नियत्रंणाधीन सभी अधिकारियों में भी परिचालित करने के अनुरोध सहित)

- 1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
- 2. अपर निदेशक (प्रशासन)
- 3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
- 4. सभी केंद्र-प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई, झज्जर
- 5. सभी विभागाध्यक्षगण
- 6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
- 7. प्रभारी-आचार्य, कम्प्यूटर स्विधा

## ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI OFFICE OF DIRECTOR

F.No. 40-30/2025-Estt.I

31.01.2025

#### **OFFICE ORDER**

Sub: Guidelines for grant of study leave to Nursing Officers reg.

The undersigned has been approached by many nursing officers with the grievance that their request for grant of study leave has been declined.

Accordingly, to streamline the grant of study leave to the Nursing Officers & to develop guidelines for the same, the following committee is constituted:

- Dean (Academic) Chairperson
- Addl. Director (Admin) Member
- Medical Superintendent (H) Member
- Deputy Secretary Member
- Chief Nursing Officer (H) Member Secretary

The aforesaid committee is requested to examine the matter in detail and submit its recommendations by 28<sup>th</sup> February 2025.

**Prof. M Srinivas**Director

1 31/1/2025

**Distribution** (with a request to also circulate it to all officials under their control)

- 1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
  - 2. Addl. Director (Admin)
  - 3. Medical Superintendent (AIIMS)
  - 4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
  - 5. Heads' of all Departments
  - 6. Sr. Financial Advisor
- 7. Prof. I/c Computer Facility